संख्या- 127 /2022/ 514 /चार-2022

प्रेषक,

विनय श्रीवास्तव,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: **लखनऊः दिनांक 31 मार्च, 2022**

विषयः-आजादी का अमृत महोत्सव एवं अन्य अवसरों पर सांस्कृतिक आयोजनों हेतु कन्सलटेंट की सेवाएं प्राप्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या- /सं0नि0- 2021-22 दिनांक 30 मार्च, 2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उक्त संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तावानुसार आजादी का अमृत महोत्सव एवं अन्य विशिष्ट अवसरों पर सांस्कृतिक आयोजनों तथा यथोचित कार्यों हेतु कन्सलटेंट की सेवाएं प्राप्त किये जाने हेतु रू0 11,15,100.00 (रू0 ग्यारह लाख पन्द्रह हजार एक सौ मात्र) की प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. प्रश्नगत सेवाएं यू0 पी0 इंडस्ट्रियल कंसलटेंट लि0, लखनऊ- यूपीको से नियमानुसार एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित कर प्राप्त की जायेंगी।

4. यूपीको द्वारा प्रत्येक विशेषज्ञ हेतु न्यूनतम 05 व्यक्तियों के नामों का पैनल संस्कृति निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा और संस्कृति निदेशालय द्वारा साक्षात्कार करते हुए परामर्शियों को चयन किया जायेगा। यदि उक्त पैनल में कोई भी उपयुक्त नहीं पाया जायेगा तो संस्कृति निदेशालय द्वारा संस्तुत किये गये व्यक्ति को यूपीको द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

5. प्रारम्भिक रूप से यूपीको के साथ 06 माह हेतु एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित किया जायेगा। सेवाएं संतोषजनक होने पर उक्त एम0ओ0यू0 06 माह के लिए विस्तारित किया जायेगा।

6. उपरोक्तानुसार होने वाले समस्त व्यय हेतु धनराशि आहरित कर उ0प्र0 जैन विद्या शोध संस्थान को उपलब्ध करायी जायेगी और संस्थान द्वारा एम0ओ0यू0 उपरान्त यूपीको को नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही पूर्ण की जायेगी।

7. वास्तविक व्यय के अनुसार धनराशि का भुगतान करते हुए स्वीकृत धनराशि का नियमानुसार उपयोग किया जायेगा।

8. उक्त स्वीकृति इस प्रतिबंध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित मदों पर व्यय की जायेगी, व्यय की अन्य मदों हेतु कदापि उपयोग नहीं किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

9. प्रश्नगत स्वीकृति मानक के संबंध में संस्कृति निदेशालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व संस्कृति निदेशालय का होगा।

10. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

11. उक्त धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-800-अन्य व्यय-19-चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव-42-अन्य व्यय मद से वहन की जायेगी।

भवदीय,
(विनय श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

संख्या 127 /2022/ 514 (1) /चार-2022, तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
4- प्रबंध निदेशक, यू0 पी0 इंडस्ट्रियल कंसलटेंट लि0, लखनऊ- यूपीको।
5- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(विनय श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।